<u>डिस्क्लेमर</u>

परामर्श पत्र संख्या 03/2022-23 के मुख पृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फाइल संख्या ऐरा/20010/एमवाईटीपी/एमसीएससी/सीएच/मुम्बई/सीपी-III/2021-26

परामर्श पत्र संख्या 03/2022-23

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

मैसर्स मुम्बई कार्गो सर्विस सेन्टर एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई में तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए कार्गो हैंडलिंग प्रभार निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 24 मई, 2022

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

हितधारकों की टिप्पणियां

प्राधिकरण को ज्ञात है कि विमानन क्षेत्र पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी के कारण अत्यधिक अस्त–व्यस्त और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। इस महामारी के परिणामस्वरूप अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों हवाई यात्राओं पर रोक है। अब कोविड के मामलों में कमी आने और हवाई यात्रा संबंधी प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद (28.03.2022 से) विमान यातायात में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। प्राधिकरण ने बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव ('एमवाईटीपी') में दिए गए विभिन्न अनुमानों के आधार पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव की जांच करने के बाद यह परामर्श पत्र जारी किया है। तदनुसार टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर प्राधिकरण के प्रस्ताव इस परामर्श पत्र में विस्तार से स्पष्ट किए गए हैं।

अत: ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 24 मई, 2022 के परामर्श पत्र संख्या 03/2022-23 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)
ऐरा प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003, भारत
ई-मेल : satish.kr@aera.gov.in: prabhjot.marwah@govcontractor.in
प्रतिलिपि : director-ps@aera.gov.in ; secretary@aera.gov.in

हितधारकों की टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	**17.06.2022**
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	**24.06.2022**

टिप्पणियां एवं जवाबी टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या +91-11-24695048 पर संपर्क कर सकते हैं।

अध्याय 8 : प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार

अध्याय	पैरा	प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार	पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	2.9	प्राधिकरण मानता है कि एमसीएससी द्वारा सीएसएमआईए, मुम्बई में प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवा **'मटीरियल किंतु प्रतिस्पर्धी'** है। इसलिए प्राधिकरण **"लाइट टच अप्रोच"** आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है।	9
अध्याय संख्या 3	3.3	प्राधिकरण तालिका 3 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एमसीएससी द्वारा अनुमानित कार्गो मात्रा को मानने का प्रस्ताव करता है।	11
अध्याय संख्या 4	4.8.1	प्राधिकरण तालिका 5 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए आरएबी (कैपेक्स) में परिवर्धन को मानने का प्रस्ताव करता है।	17
	4.8.2	प्राधिकरण तालिका 9 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास को मानने का प्रस्ताव करता है।	
	4.8.3	प्राधिकरण तालिका 11 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानने का प्रस्ताव करता है।	
अध्याय संख्या 5	5.8	प्राधिकरण तालिका 15 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एमसीएससी द्वारा अनुमानित ओपेक्स को मानने का प्रस्ताव करता है।	21
अध्याय संख्या 6	6.3.1	प्राधिकरण तालिका 17 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर को मानने का प्रस्ताव करता है।	24
	6.3.2	प्राधिकरण तालिका 17 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिशत (%) टैरिफ वृद्धि का प्रस्ताव करता है।	
अध्याय संख्या 7	7.4.1	प्राधिकरण तालिका 23 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन से प्राप्त होने वाले राजस्व को मानने का प्रस्ताव करता है।	28
	7.4.2	प्राधिकरण तालिका 23 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए लाभप्रदता को मानने का प्रस्ताव करता है।	
	7.4.3	प्राधिकरण तालिका 23 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित लाभ पर कर को मानने का प्रस्ताव करता है।	
	7.4.4	प्राधिकरण तालिका 23 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वित्त वर्ष 2022-23 से आगे मौजूदा टैरिफ में वृद्धि को मानने का प्रस्ताव करता है।	

अध्याय 9 हितधारक से परामर्श

9.1 ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त अध्याय 8 में निहित प्रस्ताव एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है। हितधारकों की सार्थक और रचनात्मक ढंग से प्रस्तुति करने में उनकी सहायता करने के लिए परामर्श पत्र में आवश्यक संलग्नक (**संलग्नक-I से VI**) भी लगाए गए हैं।

9.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का इस प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और ऐरा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ आदेश में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

9.3 प्राधिकरण उपर्युक्त अध्याय 8 में दिए गए विभिन्न प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक **17.06.2022** तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
ऐरा भवन, प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली –110003.
फोन : 011 24695044-47 ; फैक्स 011-24695048

फोन : 011-24695048
फैक्स : 011-24695039

(अध्यक्ष)